प्रेस नोट
दिनांक 26.08.2026

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के आभूषण व घटना मे प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाईकिलें बरामद–

कार्यवाही

थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु पतारसी–सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीमों द्वारा प्राथमिक विद्यालय दत्तनगर के पास घेराबंदी कर चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों–01. सुनील चौहान, 02. अशोक चौहान, 03. हरिराम वर्मा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए आभूषण तथा घटनाओं में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 11/12 अगस्त 2026 की रात्रि ग्राम हीरापुर कमियार, थाना कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा दो अलग–अलग घरों में छत के रास्ते प्रवेश कर अलमारी एवं बक्सों के ताले तोड़कर सोने–चाँदी के जेवरात चोरी कर लिए गए थे। प्रकरण में थाना कोतवाली कर्नलगंज पर दो अलग–अलग अभियोग पंजीकृत किए गए थे। पुलिस द्वारा घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार पतारसी–सुरागरसी की जा रही थी। दिनांक 26.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर प्राथमिक विद्यालय दत्तनगर के पास से तीन अभियुक्तों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने दो अन्य साथियों राकेश उर्फ मुलायम एवं मयंकर यादव के साथ मिलकर दिनांक 11/12.08.2026 की रात्रि ग्राम हीरापुर कमियार में दो घरों में चोरी की घटना कारित की थी। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी करने के बाद वे दोनों मोटरसाइकिलों से मौके से फरार हुए थे। बरामद जेवरात उन्हीं दोनों घटनाओं से सम्बन्धित हैं। अभियुक्तगण चोरी किए गए जेवरात को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, तभी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी में प्राप्त शेष जेवरात एवं रुपये उनके अन्य दोनों साथियों के पास हैं। प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं शेष माल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सुनील चौहान पुत्र रामबृज चौहान, निवासी ग्राम बसन्तपुर कमियार, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. अशोक चौहान पुत्र रामचन्द्र चौहान, निवासी जनवारियनपुरवा गुडैया नं0–2, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच।
03. हरिराम वर्मा पुत्र जियालाल वर्मा, निवासी तेलियनपुरवा मंगरमेला, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0 487/2026 धारा 305(ए),331(4),317(2),3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0 488/2026 धारा 305(ए),331(4),317(2),3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 10 जोड़ी पायल सफेद धातु
02. 21 जोड़ी बिछिया सफेद धातु
03. 02 अदद अंगूठी सफेद धातु
04. 01 अदद करधन सफेद धातु
05. 03 अदद लाकेट पीली धातु
06. 05 अदद अंगूठी पीली धातु
07. 03 अदद झुमकी पीली धातु
08. 03 अदद कान के टॉप्स पीली धातु
09. 02 अदद चेन पीली धातु
10. 03 अदद बाली पीली धातु
11. 06 अदद नाक की कील पीली धातु
12. 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल।
13. 01 अदद हीरो स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 शशांक मौर्य
02. उ0नि0 अक्षय मिश्रा
03. उ0नि0 आशीष यादव
04. उ0नि0 शरद कुमार
05. हे0का0 रामशरण मौर्य
06. हे0का0 दीपक मिश्रा
07. हे0का0 कमल सिंह
08. हे0का0 सर्वेश प्रसाद
09. का0 हिमांशु प्रजापति
10. का0 सुभाष यादव
11. का0 धीरेन्द्र कुमार
12. का0 प्रवीण कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.08.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण, डिजिटल वर्किंग को बढ़ावा देने पर दिया गया विशेष जोर–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा पुलिस कार्यालय गोण्डा पहुंचकर कार्यालय परिसर एवं विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वाचक कार्यालय, अकाउंटेंट शाखा, सीसीटीएनएस, प्रधान लिपिक, जनसुनवाई एवं आई0जी0आर0एस0 शाखा सहित अन्य कार्यालयीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित शाखाओं में अभिलेखों के रख–रखाव, कार्यों की प्रगति एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान डिजिटल वर्किंग को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्यों को डिजिटल माध्यम से संपादित करने, ऑनलाइन पोर्टल/सॉफ्टवेयर पर सूचनाओं को समय से अपडेट करने तथा डिजिटल अभिलेखों को अद्यावधिक रखने'' पर विशेष बल दिया गया। जनसुनवाई एवं आई0जी0आर0एस0 से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं दक्षता बनाए रखने तथा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.08.2026

गोण्डा पुलिस की सतर्कता एवं प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बारावफात पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम/जुलूस को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया सकुशल सम्पन्न–

गोण्डा। आज दिनांक 26.08.2026 को बारावफात पर्व के अवसर पर जनपद में आयोजित कार्यक्रम/जुलूस को गोण्डा पुलिस द्वारा सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया गया। पर्व के दृ ष्टिगत जनपद में कानून–व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई तथा संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती गई। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा जुलूस/कार्यक्रम के मार्गों, धार्मिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस बल की ड्यूटी चेक की गई। अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारियों एवं पुलिस कर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने तथा किसी भी प्रकार की सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बारावफात के अवसर पर धर्मगुरुओं, संभ्रांत व्यक्तियों एवं स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करते हुए आपसी भाईचारा, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु भी आवश्यक प्रबंध किए गए। पर्व के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सतर्क निगरानी'' रखी गई तथा अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार निगरानी की गई। गोण्डा पुलिस की सतर्कता, प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था एवं आमजन के सहयोग से बारावफात पर्व जनपद में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न हुआ। इस दौरान जनपद में शांति एवं कानून–व्यवस्था बनी रही।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.08.2026

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लापता दो नाबालिग बालिकाओं को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द–

कार्यवाही का विवरण

दिनांक 25.08.2026 को थाना कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत दो नाबालिग बालिकाओं के घर से लापता होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा प्रकरण की जांच/बरामदगी हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जीआरपी पुलिस चौकी ऐशबाग, लखनऊ से समन्वय स्थापित किया गया। पुलिस टीम के अथक प्रयास एवं तत्परता के फलस्वरूप दोनों नाबालिग बालिकाओं को ऐशबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ से सकुशल बरामद कर लिया गया। बरामद दोनों बालिकाओं को महिला पुलिसकर्मी के संरक्षण में थाना कटरा बाजार लाया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए दोनों बालिकाओं को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बालिकाओं को सकुशल पाकर परिजनों द्वारा गोण्डा पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं तत्परता की सराहना की गई।

पुलिस टीम

01. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कनौजिया
02. कां0 अनुराग राजवंशी
03. म0कां0 फूलमती

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.08.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही / घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा बारावफात त्यौहार के दृष्टिगत क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर जुलूस एवं कार्यक्रमों की सतर्कतापूर्वक निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान ग्राम बेलावाँ नाऊ पुरवा में बारावफात जुलूस के दौरान दूसरे धर्म के धार्मिक विश्वासों का अपमान करने एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से भड़काऊ नारे बजाने एवं लगाने के प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुए डी0जे0 लगे वाहन को डी0जे0 सहित सीज किया गया। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर शांति एवं कानून–व्यवस्था के दृष्टिगत 01 अभियुक्त रियाज अहमद को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. रियाज अहमद पुत्र मो0 युनुस'', निवासी ग्राम बेलावाँ नाऊ पुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0 88/2026, धारा 196(1)/223/299/302 बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

01. उ0नि0 नारदमुनि कन्नौजिया
03. का0 गंगाशरण यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 26.08.2026</u>

थाना छपिया व एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा मय कारतूस, चोरी की उपकरण व 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाही–
आज दिनांक 26.08.2026 को थाना छपिया पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बिरहीपुर बाग के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा द्वारा अभियुक्त को घेराबन्दी का पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त तिलकराम उर्फ झिन्कू के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी छपिया में भर्ती कराया गया। जहां से डॉक्टरों द्वारा बेहतर उपचार हेतु अभियुक्त को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के आभूषण, नगदी, अवैध तमंचा, कारतूस एवं बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
थाना छपिया क्षेत्र में दिनांक 25.05.2026 की रात्रि एक घर में घुसकर महिला एवं उसकी बहू के साथ मारपीट कर बक्से व आलमारी का ताला तोड़कर नगदी एवं सोने–चांदी के आभूषण चोरी करने तथा दिनांक 28.06.2026 की रात्रि एक अन्य घर में घुसकर अकेली वृद्ध महिला को असलहे के बल पर धमकाकर उसका गला दबाते हुए सोने–चांदी के आभूषण लूटने की घटनाएं हुई थीं। दोनों घटनाओं के संबंध में थाना छपिया पर अभियोग पंजीकृत थे। उक्त घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 26.08.2026 थाना छपिया व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम बिरहीपुर बाग के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा द्वारा अभियुक्त को घेराबन्दी का पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त तिलकराम उर्फ झिन्कू के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी छपिया में भर्ती कराया गया। जहां से डॉक्टरों द्वारा बेहतर उपचार हेतु अभियुक्त को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के आभूषण, नगदी, अवैध तमंचा, कारतूस एवं बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में जनपद गोण्डा के थाना क्षेत्र छपिया सहित थाना खोड़ारे व थाना को0 देहात में लूट/चोरी की घटनाएँ कारित करना बताया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. तिलकराम उर्फ झिन्कू पुत्र परशुराम नि0 भेलखा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–
01. मु0अ0सं0 220/2026, धारा 309(6)/351(3)/317(2) बीएनएस, थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 267/2026, धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 207/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 775/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–335/26, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद पीली धातु अंगूठी
02. 01 अदद पीली धातु लाकेट
02. 01 अदद करधानी सफ़ेद धातु
04. 05 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु
05. 01 जोड़ी बिछिया सफ़ेद धातु
06. 01 अदद 12 बोर तमंचा।
07. 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
08. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
09. 17,100 रूपया नगद
10. 01 अदद अपाचे बिना नम्बर मोटरसाईकिल

अभियुक्त तिलकराम उर्फ झिन्कू पुत्र परशुराम का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 227/19 धारा 380/457 भादवि थाना छपिया, गोण्डा
2. मु0अ0सं0 269/19 धारा 294/379/411/504/506 भादवि थाना छपिया, गोण्डा
3. मु0अ0सं0 217/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना छपिया, गोण्डा
4. मु0अ0सं0 101/22 धारा 401 भादवि थाना छपिया, गोण्डा
5. मु0अ0सं0 51/25 धारा 351(2)/352 बीएनएस थाना छपिया, गोण्डा
6. मु0अ0सं0 217/23 धारा 379/411 भादवि थाना खोड़ारे, गोण्डा
7. मु0अ0सं0 207/22 धारा 379/411 भादवि थाना गौर, बस्ती
8. मु0अ0सं0 113/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना गौर, बस्ती
9. मु0अ0सं0 227/25 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना छपिया, गोण्डा
10. मु0अ0सं0 270/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना छपिया, गोण्डा
11. मु0अ0सं0 131/19 धारा 380/457/411 भादवि थाना पैकोलिया, बस्ती
12. मु0अ0सं0 132/19 धारा 380/457/411 भादवि थाना पैकोलिया, बस्ती
13. मु0अ0सं0 208/22 धारा 411/419/420/467/468/471 भादवि थाना पैकोलिया, बस्ती
14. मु0अ0सं0 228/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना पैकोलिया, बस्ती
15. मु0अ0सं0 264/22 धारा 379/411 भादवि थाना हरैया, बस्ती
16. मु0अ0सं0 299/22 धारा 379/411 भादवि थाना हरैया, बस्ती
17. मु0अ0सं0 279/23 धारा 413 भादवि थाना परशुरामपुर, बस्ती
18. मु0अ0सं0 218/25 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना छपिया, गोण्डा
19. मु0अ0सं0 220/26 धारा 309(6)/351(3)/317(2) बीएनएस थाना छपिया, गोण्डा
20. मु0अ0सं0 267/26 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना छपिया, गोण्डा
21. मु0अ0सं0 349/26 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना परसपुर, गोण्डा
22. मु0अ0सं0 365/26 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना परसपुर, गोण्डा
23. मु0अ0सं0 379/26 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना परसपुर, गोण्डा
24. मु0अ0सं0 360/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना परसपुर, गोण्डा
25. मु0अ0सं0 775/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्त से उनके द्वारा कारित अन्य घटनाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ व बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 श्री उमेश कुमार थाना छपिया।
02. श्री आशुतोष सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0।

03. श्री मनीष कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल।
04. हे0का0 अमित पाठक सर्विलांस सेल।
05. हे0का0 रवि सर्विलांस सेल।
06. हे0का0 अरूण यादव एस0ओ0जी0
07. हे0का0 राकेश सिंह एस0ओ0जी0
08. हे0का0 विनय राय।
09. हे0का0 अभिनव सिंह।
10. हेड का0 बिरजू।
11. हेड का0 श्याम नारायण।
12. का0 युवराज यादव।
13. का0 अभिषेक सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।